प्ररूप–ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

विजेन्द्र कुमार ध्रुव पिता अमृत लाल ध्रुव
निवासी ग्राम बेन्दकुरा
तहसील–गरियाबंद, जिला–गरियाबंद(छ0ग0)

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

---000---

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 20.12.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण ज्ञापन (दिनांक) 20.12.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:– **खसरा नम्बर 273/6 रकबा 0.26हे. भूमि में साजा वृक्ष 04 नग, साल वृक्ष 03 नग एवं कुम्ही वृक्ष 01 नग है जो सभी वृक्ष गीला एवं खडा है, जिसमें से वृक्ष कमांक 3, 7, 8 साल वृक्ष को कृषि के हित में कटवाना चाहता है।**

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नम्बर **273/6** ग्राम–**बेन्दकुरा**, प.ह.नं. **09**, तहसील–**गरियाबंद** स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति **साल (वृक्ष कमांक 3, 7 एवं 8** एवं संख्या (क्रमशः) **03** है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

संलग्नः– प्रपत्र 'ब' की प्रतिलिपि।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गरियाबंद
गरियाबंद

पृ.क्रमांक / 1846 / अ.अ./वा–1/2025 गरियाबंद दिनांक 19/6/25

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गरियाबंद जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गरियाबंद
गरियाबंद

Scanned with CamScanner